

प्रारूप-1
[भाग-एक]

एकीकृत इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन/सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक
का
फोटो

आवेदन पत्र क्रमांक	
आवेदन दिनांक	
1. योजना का नाम (चिन्ह ✓ लगायें) :	इंदिरा वृद्धावस्था पें. <input type="checkbox"/> इंदिरा विधवा पें. <input type="checkbox"/> इंदिरा निःशक्त पें. <input type="checkbox"/> सामाजिक सुरक्षा पें. <input type="checkbox"/> सुखद सहारा पें. <input type="checkbox"/>
2. जिला का नाम	
3. क्षेत्र	ग्रामीण <input type="checkbox"/> शहरी <input type="checkbox"/>
4. वि.सं./ननि/नपा/नपं./जप.	
5. ग्राम पंचायत/वार्ड	
6. ग्राम	
7. मोहल्ला	
8. आवेदक का नाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	
उपजाति/सरनेम	
9. पिता/पति का नाम	
10. उत्तराधिकारी	
11. आवेदक का पता	
मकान नं./ग्राम	
गली/पोस्ट आफिस	
जिला	
पिन कोड	

बैंक / पोस्ट आफिस का नाम :

शाखा का नाम :

खाता क्रमांक :

आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड :

29. सत्यापन कर्ता :

30. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र.	प्रमाण पत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.	आयु प्रमाण पत्र(सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में महापौर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/जन्मपंजी/चिकित्सक का प्रमाणपत्र/स्कूल प्रमाणपत्र) (सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
2.	निवास प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अथवा सरपंच/पार्षद द्वारा जारी) (सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
3.	निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण पत्र) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा निःशक्त पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
4.	मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा एवं इंदिरा विधवा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
5.	पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र (परित्यक्त हेतु) (सम्बन्धित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा योजना हेतु अनिवार्य)		
6.	6-14 आयुवर्ग के निःशक्तजनों के लिए स्कूल जाने का प्रमाण पत्र (संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
7.	बैने हेतु प्रमाण पत्र (प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		

-: घोषणा पत्र :-

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पिता / पति
 निवासी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे
 ज्ञान के अनुसार सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा ।

श्री / श्रीमती / कुमारी
 (आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी)

31. आवेदन का परीक्षण : पात्र अपात्र

कारण टीप के साथ :

सत्यापनकर्ता अधिकारी का टीप :

(हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : सरपंच / सचिव / नगरीय निकाय का
अधिकारी / पार्षद

छटनीकर्ता का टीप :

(छटनीकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : समाज शिक्षा संगठन / नगरीय निकाय के
अधिकारी

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जपं. / नगरीय निकाय के
अधिकारी

नोट : चिन्ह वाले स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

प्राप्त आवेदन-पत्र की अभिस्वीकृति

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन / इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा
पेंशन योजना / सुखद सहारा योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु -

श्री / श्रीमती / कुमारी पता
का आवेदन पत्र आज दिनांक को नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम / ग्राम
पंचायत कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

प्रारूप-1
[भाग-दो]

आयु प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका /
नगर पंचायत के द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्लियत सहित

निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित)

वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता/निःशक्त है । आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु

वर्ष है / आवेदक अवयस्क है, तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र
के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है ।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ।

ग्रामपंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत
(हस्ताक्षर सहित)

पुनः / पालिका
ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत
द्वारा (हस्ताक्षर सहित)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम एवं पद मुद्रा सहित)

ग्राम पंचायत/नगर निगम/ नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

स्थान

दिनांक

प्रारूप-1
[भाग-तीन]

आयु प्रमाण पत्र

6 से 14 वर्ष की आयु के निःशक्त शालेय छात्र के सम्बंध में प्रमाण-पत्र
(यह प्रमाण पत्र स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जावेगा)

..... मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्लिदयत सहित)

पिता का नाम की शालेय रिकार्ड के आधार पर जन्मतिथि

है एवं आयु वर्ष है तथा आवेदक (स्कूल का नाम)

की कक्षा का छात्र है ।

प्राचार्य/प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पद मुद्रा सहित)

.....
(स्थान एवं पद मुद्रा सहित)
स्थान
दिनांक

.....
.....

प्रारूप-1
[भाग- [भाग-चार]]

परित्यक्ता महिला होने का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम के संबंधित वार्ड के पंच तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका / नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र में पार्षद द्वारा किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम)

पिता का नाम निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित)

पति द्वारा इन्हें दिनांक से परित्याग किया गया है ।

श्रीमती अब परित्यक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है ।

पंच / पार्षद

ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत

जिला (छत्तीसगढ़)

स्थान

दिनांक